तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 41/2024**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.5.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी दामोदर पुत्र छोगाराम जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अमीचन्द चुन्नीलाल, सुथारों का वास, नया सानवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव दिनांक 12.3.2023 द्वारा फर्म अमीचन्द चुन्नीलाल, सुथारों का वास, नया सानवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी दामोदर पुत्र छोगाराम जी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-2055 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./584/Act/2023/628 दिनांक 27.3.2023 में मिथ्याछाप (misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 27.5.2024 को प्रतिवादी ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी दामोदर को सुना गया, जिसने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्ययान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि मेरे द्वारा कम्पनी से नोवा ब्राण्ड घी क्रय किया जाता है एवं निर्माता कम्पनी द्वारा घी के लेबल पर एक्सपाईरी तिथि अंकित नही की गई है, इसमें मेरा कोई दोष नही है। लेबर पर घी के निर्माण की तिथि दर्शाई है, लेकिन वैधता समाप्ति तिथि नही दर्शाया है, इसके लिये निर्माता कम्पनी दोषी है। अतः कम से कम जुर्माना कर आगे की कार्यवाही को ड्रॉप करावे। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 12.3.2023 को समय 11.15 ए.एम. पर फर्म अमीचन्द चुन्नीलाल, सुथारों का वास, नया सानवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये, जहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी दामोदर पुत्र छोगारामजी, जाति– माहेश्वरी, निवासी– सुथारों का वास, नया सानवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिलें, जो खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) का आम जनता को विक्रय करता है। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता को विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) में ....लगातार	

न्यायालय प्रांत० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रांत. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:14:43 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 41/2024**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता दामोदर पुत्र छोगाराम जी को गवाह के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने फर्म अमीचन्द चुन्नीलाल, सुथारों का वास, नया सानवाडा की दुकान के अन्दर आम जनता के विक्रय हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) के 25 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 1,200/– (अक्षरे रुपये एक हजार दो सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता दामोदर पुत्र छोगाराम जी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2055, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) के चारों पैक्ड पैकेटो पर पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2055 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता दामोदर पुत्र छोगाराम जी व गवाह के हस्ताक्षर कराये तथा श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी दामोदर पुत्र छोगाराम जी व गवाह तथा श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 14.3.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, ...लगातार	

प्रति. जिला न्यायाधीश
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:14:43 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 41/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 13.3.2023 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अमीचन्द चुन्नीलाल, सुथारों का वास, नया सानवाडा में प्रतिवादी विक्रेता दामोदर पुत्र छोगाराम जी से खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-2055 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./584/Act/2023/628 दिनांक 27.3.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (misbranded) पाया गया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी दामोदर पुत्र छोगाराम जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अमीचन्द चुन्नीलाल, सुथारों का वास, नया सानवाडा, तहसील–पिण्डवाडा, जिला– सिरोही द्वारा मिथ्याछाप (misbrande) खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी दामोदर पुत्र छोगाराम जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अमीचन्द चुन्नीलाल, सुथारों का वास, नया सानवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी दामोदर पुत्र छोगाराम जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अमीचन्द चुन्नीलाल, सुथारों का वास, नया सानवाडा को आदेशित किया जाता है कि उस पर अधिरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 28.6.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:14:43 IST
Reason: SelfAttested